न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/59/2023	2023/331	26.07.2023	20.11.2025

01. प्रवर्तन निरीक्षक अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. शेर खां पुत्र श्री रहमत खां, नि0 बीजोपुर, ग्रा.पं. भण्डवाडा, तह0 अलवर ग्रामीण जिला अलवर राज0।
02. प्रबंधक (नागरिक आपूर्ति), राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 अलवर, 2/541, काला कुंआ, टैम्पो स्टैण्ड, अलवर।
03. जनरल मैनेजर, क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0 अलवर, मोती डूंगरी अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के तहत 115 क्विं0 गेहूं को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रवर्तन निरीक्षक —विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन निरीक्षक अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 के तहत 115 क्विं0 गेहूं को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6-ए प्रस्तुत किया गया है।

प्रवर्तन निरीक्षक अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 11.04.2020 को दिये गये निर्देश की अनुपालना में मैं बहमराह जिला रसद अधिकारी, अलवर, श्री रवि जाधव, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुदर्शन कुमार के०पी०, प्रवर्तन निरीक्षक राशन के गेहूं के अवैध भण्डारण की सूचना मिलने पर प्रवर्तन स्टॉफ जांच हेतु ग्राम बीजोपुर, ग्राम पचायत भण्डवाडा, तहसील अलवर ग्रामीण पर पहुंचा। मौके पर शेर सिंह पुत्र श्री रहमत खां अपने निवास ग्राम बीजोपुर पर उपस्थित नहीं मिला। वक्त जांच श्री फकरूदीन पुत्र श्री रहमत खां की उपस्थिति में जांच की गई। शेर सिंह पुत्र रहमत खां के ग्राम बीजोपुर स्थित निवास स्थल पर जांच करने पर घर पर 2 कमरों में 230 कुट्टों में प्रति कट्टा औसत वजन 50 किलोग्राम के अनुसार 11500 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध पाया गया। कट्टों पर एफ०सी०आई० का मार्का तथा मशीन के माध्यम से सिलाई पाई गई।

वक्त जांच श्री फकरूदीन ने बताया कि उक्त गेहूं राशन का है जो कि मरे भाई शेर सिंह (ट्रक चालक) द्वारा ट्रक खराब होने के के कारण अपने मकान में उतरवाया है। उसने अपने भाई शेर सिंह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटित गेहूं के परिवहन का कार्य करना बताया। श्री फकरूदीन ने बताया कि उक्त गेहूं श्री लियाकत, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पचायत चांदोली, तहसील अलवर ग्रामीण के 120 कट्टे, श्री जले सिंह, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत लोयती, तहसील बानसूर का 115 कट्टे एवं श्री धर्मपाल, उचित मूल्य दुकानदार करबा डहरा, तहसील अलवर ग्रामीण के 10 कट्टे है। मौके पर श्री फकरूदीन ने उक्त गेहूं के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार श्री शेर सिंह द्वारा गेहूं का अवैध रूप से भण्डारण करना संदेह की श्रेणी में आता है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उक्त 115.00 क्वि० गेहूं को सुरक्षा की दृष्टि से श्री

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

समीर खां, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत घाटला, तहसील अलवर ग्रामीण की सुपुर्दगी में दिया गया। जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 115.00 विंच० गेहूं 'को राजसात कर शीघ्र निस्तारण करना फरमायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को समुचित नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किए गए, किन्तु अप्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विधि के अनुसार अप्रार्थी का जवाब–अधिकार समाप्त किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर विचार किया गया। प्रार्थी अनुसार अप्रार्थी के निवास के दो कमरों में कुल 230 कट्टे, प्रत्येक का औसत वजन 50 किलोग्राम पाया गया, कुल वजन 11500 किलोग्राम (115 क्विंटल)। सभी कट्टों पर एफ.सी.आई. मार्का तथा मशीन सिलाई पाई गई। फकरूदीन के कथनानुसार यह गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है जिसे उसका भाई शेर सिंह (ट्रक चालक) ट्रक खराब होने के कारण घर पर उतार गया था। उक्त गेहूं तीन अलग–अलग उचित मूल्य दुकानदारों का है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा जांच के वक्त कोई भी अभिलेख/चालान/डिपो रिलीज ऑर्डर प्रस्तुत नहीं किया गया।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य दुकान हेतु आवंटित अनाज का परिवहन, भंडारण तथा वितरण केवल लाइसेंसधारी संस्था/परिवहनकर्ता ही कर सकता है। किसी भी प्रकार का अनधिकृत भंडारण, विशेषतया FCI मार्का किए गए मशीन सिलाई वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का निजी घर में संग्रह, अवैध भंडारण की श्रेणी में आता है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि शेर सिंह द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का अवैध भंडारण किया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसा आचरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 6–ए के अंतर्गत अनियमितताओं के कारण जब्त वस्तु का राजसात किया जाना विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है एवं बरामदशुदा 115 क्विंटल (11500 किलोग्राम) गेहूं को राजसात किया जाता है। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि बरामदशुदा 115 क्विंटल (11500 किलोग्राम) गेहूं को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)